उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 659/2024

अरविन्द कुमार उपाध्याय.....वादी।

बनाम्

कमलाकांत उपाध्याय वगै0 .....प्रतिवादीगण।

आदेश

05.12.2025 उभय पक्ष की पैरवी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता वादी के तरफ से दिनांक 05.12.2025 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सी0 पी0 सी0 को प्रचालित करते हुये यह कथन करते है कि वादी ने यह वाद भूखण्ड अंतर्गत अनुसूची–02 में प्रतिवादी द्वितीय सेट के द्वारा प्रतिवादी तृतीय सेट के पक्ष में केबाला को शून्य घोषित कराने के लिए दाखिल किये हैं। वाद में कुछ विवरण भूलवश छुट गया है तथा कुछ तथ्य गलत दर्ज हो गया है जिसका संशोधन होना न्यायाहित में अनिवार्य है। वादी का संशोधन आवेदन महज औपचारिक प्रकृति का है जिससे वाद की प्रकृति एवं न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनुरोध करते है कि वादी के वाद में संशोधन करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित किया गया है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित किये है। वादी का संशोधन आवेदन महज औपचारिक प्रकृति का है जिससे मुकदमा का प्रकृति नहीं बदलता है। अतः वादी के तरफ से दिनांक 05.12.2025 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सी0 पी0 सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता को निदेर्शित किया जाता है कि कार्यालय लिपिक के समक्ष आवदेन के अनुसार अर्जी में संशोधन करें। कार्यालय संशोधन के आलोक में सिरिस्तेदार से प्रतिवेदन की मांग करें।

दिनांक– 06.01.2026 वास्ते साक्ष्य हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)